



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06042026-271585
CG-TL-E-06042026-271585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1673]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/ चैत्र 16, 1948

No. 1673]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/ CHAITRA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1740(ई).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) 2008 में यथा संशोधित (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि उक्त परियोजना सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है जिसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है, जिस भूमि का संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् मोटुमारि से विष्णुपुरम लाइन में विष्णुपुरम पर बाइपास लाइन (4.90 किमी.) के निष्पादन के लिए आवश्यक है तथा एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त परियोजना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप कलक्टर, मिर्यालगुडा, नलगोंडा जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी एवं उप कलक्टर, मिर्यालगुडा, नलगोंडा जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम

प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है. उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण :

यात्री और माल सुविधा के लिए नलगोंडा जिला क्षेत्राधिकार के सीमा के भीतर मोटुमारि से विष्णुपुरम लाइन में विष्णुपुरम पर बाइपास लाइन (4.90 किमी.).

राज्य : तेलंगाना				जिला : नलगोंडा	
क्रम सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्र (एकड़ में)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
तालुका : दामरचेर्ला					
गांव : दामरचेर्ला					
1	21	कृषि भूमि	पट्टा	0.106	0.043
2	22	कृषि भूमि	पट्टा	1.294	0.524
3	23	कृषि भूमि	पट्टा	0.475	0.192
4	24	कृषि भूमि	लावुणी पट्टा	0.056	0.023
5	25	कृषि भूमि	पट्टा	0.450	0.182
6	26	कृषि भूमि	लावुणी पट्टा	0.638	0.258
7	42	कृषि भूमि	पट्टा	0.044	0.018
8	52	कृषि भूमि	पट्टा	0.663	0.268
9	53	कृषि भूमि	पट्टा	0.663	0.268
10	54	कृषि भूमि	पट्टा	1.025	0.415
11	55	कृषि भूमि	पट्टा	0.181	0.073
12	62	कृषि भूमि	पट्टा	0.088	0.035
13	64	कृषि भूमि	पट्टा	0.294	0.119
14	65	कृषि भूमि	पट्टा	0.375	0.152
15	66	कृषि भूमि	पट्टा	0.538	0.218
16	67	कृषि भूमि	पट्टा	0.019	0.008
17	71	कृषि भूमि	पट्टा	0.100	0.040
18	72	कृषि भूमि	पट्टा	0.863	0.349
19	73	कृषि भूमि	पट्टा	1.850	0.749
20	76	कृषि भूमि	पट्टा	0.256	0.104
21	77	कृषि भूमि	पट्टा	1.006	0.407
22	78	कृषि भूमि	पट्टा	0.725	0.293
23	79	कृषि भूमि	पट्टा	0.850	0.344
24	80	कृषि भूमि	पट्टा	0.063	0.025
25	81	कृषि भूमि	पट्टा	0.044	0.018
26	84	कृषि भूमि	पट्टा	0.100	0.040
27	86	कृषि भूमि	पट्टा	0.400	0.162
28	88	कृषि भूमि	पट्टा	4.550	1.841
29	96	कृषि भूमि	पट्टा	0.256	0.104
30	479	कृषि भूमि	पट्टा	1.225	0.496
31	481	कृषि भूमि	पट्टा	0.200	0.081
32	482	कृषि भूमि	पट्टा	1.125	0.455

33	497	कृषि भूमि	पट्टा	0.850	0.344
34	502	कृषि भूमि	पट्टा	0.600	0.243
35	503	कृषि भूमि	पट्टा	0.275	0.111
36	505	कृषि भूमि	पट्टा	1.275	0.516
37	506	कृषि भूमि	पट्टा	0.425	0.172
38	507	कृषि भूमि	पट्टा	1.100	0.445
39	509	कृषि भूमि	पट्टा	1.550	0.627
40	510	कृषि भूमि	पट्टा	0.125	0.051
41	512	कृषि भूमि	लावुणी पट्टा	0.025	0.010
42	513	कृषि भूमि	पट्टा	0.100	0.040
43	553	कृषि भूमि	पट्टा	0.113	0.046
44	554	कृषि भूमि	पट्टा	0.550	0.223
45	555	कृषि भूमि	पट्टा	0.850	0.344
46	581	कृषि भूमि	पट्टा	0.888	0.359
47	583	कृषि भूमि	पट्टा	2.513	1.017
48	585	कृषि भूमि	पट्टा	0.681	0.276
49	586	कृषि भूमि	पट्टा	2.125	0.860
50	587	कृषि भूमि	पट्टा	1.150	0.465
51	588	कृषि भूमि	पट्टा	0.163	0.066
52	620	कृषि भूमि	पट्टा	1.156	0.468
53	621	कृषि भूमि	लावुणी पट्टा	3.763	1.523
54	622	कृषि भूमि	पट्टा	2.838	1.148
55	623		वन	4.075	1.649
56	1052	कृषि भूमि	शिखम	0.175	0.071
57	1098	कृषि भूमि	पट्टा	0.225	0.091
58	1099	कृषि भूमि	पट्टा	0.400	0.162
59	1100	कृषि भूमि	लावुणी पट्टा	0.200	0.081
60	1107	कृषि भूमि	पट्टा	3.125	1.265
			कुल	51.831	20.975

[फा. सं. W.Con.182/SRP-02/MTM-VNUP/23-24/243/20A/300326]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 30th March, 2026

S.O. 1740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20-A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) as amended in 2008 (hereinafter referred to as the said Act), Central Government after being satisfied that the said project is for the public purpose, declared as Special Railway Project. The land in the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project i.e. **By pass Line at Vishnupuram (4.90 K.Ms.) in Motumari to Vishnupuram Line** in Nalgonda district in the state of Telangana, and hence hereby declare its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of (30 days) thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid project purpose.

Under sub-section (1) of section 20-D of the said act, every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Sub-Collector, Miryalaguda, Nalgonda district in writing and shall be set out the grounds there of

and the Competent Authority and Sub-Collector, Miryalaguda, Nalgonda district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the Competent Authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of lands in acquisition:

Bypass Line at Vishnupuram (4.90 K.Ms.) in Motumari to Vishnupuram Line within the limits of Nalgonda District Jurisdiction for passenger and freight facility.

State: TELANGANA		District: NALGONDA			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Acres)	Area (in Hectares)
Taluk: Damaracherla					
Village: Damaracherla					
1	21	Agriculture Land	Patta	0.106	0.043
2	22	Agriculture Land	Patta	1.294	0.524
3	23	Agriculture Land	Patta	0.475	0.192
4	24	Agriculture Land	LavuniPatta	0.056	0.023
5	25	Agriculture Land	Patta	0.450	0.182
6	26	Agriculture Land	LavuniPatta	0.638	0.258
7	42	Agriculture Land	Patta	0.044	0.018
8	52	Agriculture Land	Patta	0.663	0.268
9	53	Agriculture Land	Patta	0.663	0.268
10	54	Agriculture Land	Patta	1.025	0.415
11	55	Agriculture Land	Patta	0.181	0.073
12	62	Agriculture Land	Patta	0.088	0.035
13	64	Agriculture Land	Patta	0.294	0.119
14	65	Agriculture Land	Patta	0.375	0.152
15	66	Agriculture Land	Patta	0.538	0.218
16	67	Agriculture Land	Patta	0.019	0.008
17	71	Agriculture Land	Patta	0.100	0.040
18	72	Agriculture Land	Patta	0.863	0.349
19	73	Agriculture Land	Patta	1.850	0.749
20	76	Agriculture Land	Patta	0.256	0.104
21	77	Agriculture Land	Patta	1.006	0.407
22	78	Agriculture Land	Patta	0.725	0.293
23	79	Agriculture Land	Patta	0.850	0.344
24	80	Agriculture Land	Patta	0.063	0.025
25	81	Agriculture Land	Patta	0.044	0.018
26	84	Agriculture Land	Patta	0.100	0.040
27	86	Agriculture Land	Patta	0.400	0.162
28	88	Agriculture Land	Patta	4.550	1.841
29	96	Agriculture Land	Patta	0.256	0.104
30	479	Agriculture Land	Patta	1.225	0.496
31	481	Agriculture Land	Patta	0.200	0.081
32	482	Agriculture Land	Patta	1.125	0.455
33	497	Agriculture Land	Patta	0.850	0.344
34	502	Agriculture Land	Patta	0.600	0.243
35	503	Agriculture Land	Patta	0.275	0.111
36	505	Agriculture Land	Patta	1.275	0.516
37	506	Agriculture Land	Patta	0.425	0.172
38	507	Agriculture Land	Patta	1.100	0.445
39	509	Agriculture Land	Patta	1.550	0.627
40	510	Agriculture Land	Patta	0.125	0.051
41	512	Agriculture Land	LavuniPatta	0.025	0.010

42	513	Agriculture Land	Patta	0.100	0.040
43	553	Agriculture Land	Patta	0.113	0.046
44	554	Agriculture Land	Patta	0.550	0.223
45	555	Agriculture Land	Patta	0.850	0.344
46	581	Agriculture Land	Patta	0.888	0.359
47	583	Agriculture Land	Patta	2.513	1.017
48	585	Agriculture Land	Patta	0.681	0.276
49	586	Agriculture Land	Patta	2.125	0.860
50	587	Agriculture Land	Patta	1.150	0.465
51	588	Agriculture Land	Patta	0.163	0.066
52	620	Agriculture Land	Patta	1.156	0.468
53	621	Agriculture Land	LavuniPatta	3.763	1.523
54	622	Agriculture Land	Patta	2.838	1.148
55	623		Forest	4.075	1.649
56	1052	Agriculture Land	SHIKHAM	0.175	0.071
57	1098	Agriculture Land	Patta	0.225	0.091
58	1099	Agriculture Land	Patta	0.400	0.162
59	1100	Agriculture Land	LavuniPatta	0.200	0.081
60	1107	Agriculture Land	Patta	3.125	1.265
		Total		51.831	20.975

[F. No. W.Con.182/SRP-02/MTM-VNUP/23-24/243/20A/300326]

K.SURYANARAYANA,Chief Engineer/Con-III